न्यायालय अति.संभागीय आयुक्त, बीकानेर संभाग, बीकानेर
पीठासीन अधिकारी ए.एच गौरी, आर.ए.एस.

अपील संख्या 228 / 2017 एल.आर. एक्ट (GCMS No 2017/ 00055)

सुगनाराम पुत्र मालाराम जाति मेधवाल निवासी ग्राम भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।

अपीलान्ट

बनाम

1. बीरबलराम पुत्र लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
2. भूराराम पुत्र लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
3. सुरजाराम पुत्र लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
4. कुशलाराम पुत्र लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
5. लालूराम पुत्र लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
6. बुधी पुत्री लिच्छुराम जाति मेधवाल निवासी भोजूसर उपधियान तहसील सरदारशहर जिला चूरू।
7. स्टेट जरिये तहसीलदार सरदारशहर जिला चूरू।

रेस्पोडेंट

उपस्थितः

1. श्री नरसाराम जाखड़ – अभिभाषक अपीलान्ट
2. श्री जयचन्दलाल सारस्वत –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 1, 2, 4, 5, 6,
3. श्री प्रेम गोदारा –अभिभाषक रेस्पोडेन्ट सं. 3
4. श्री मोहम्मद इम्तियाज अली – राजकीय अभिभाषक

निर्णय **दिनांकः 04.01.2023**

1. यह अपील भू–राजस्व अधिनियम, 1956 की धारा 76 के अन्तर्गत उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्ध पेश हुई है।
2. अपील के तथ्य संक्षेप में इस प्रकार है कि रेस्पोडेन्ट सं. 1 ने अधीनस्थ न्यायालय उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर में ग्राम पातलीसर छोटा, ग्राम पंचायत भोजूसर उपधियान द्वारा तस्दीक नामान्तरण सं. 471 दिनांक 05.02.2007 तहसील सरदारशहर के विरूद्ध अपील प्रस्तुत कर नामान्तरण सं. 471 दिनांक 05.02.2007 को आंशिक रूप से अपास्त कर मनोहरी पत्नी लिछमणराम के

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

विरासतन हिस्सा मे दर्ज सुगनाराम पुत्र मालाराम के स्थान पर बीरबलराम, सुरजाराम, कुशलाराम, लालूराम, भूराराम, बुधी पिसरान लिछमण दर्ज किये जाने का निवेदन किया। जिस पर उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर द्वारा अपने निर्णय दिनांक 27.04.2017 द्वारा अपील आंशिक रूप स्वीकार कर इन्तकाल सं. 471 को आंशिक रूप से अपास्त कर तहसीलदार को आदेश दिया कि मनोहरी पत्नी लिछमणराम के विरासतन हिस्सा मे दर्ज सुगनाराम पुत्र मालाराम के नाम को कलमजन कर बीरबलराम, सुरजाराम, कुशलाराम, लालूराम, भूराराम, बुधी पि. लिछमण के नाम राजस्व रिकार्ड मे बहिस्सा बराबर दर्ज किया जावे। उक्त आदेश के विरूद्व अपीलान्ट द्वारा यह अपील प्रस्तुत की गई है।

3. अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर, रेस्पोडेन्ट्स एवं अधीनस्थ न्यायालय का रिकॉर्ड तलब किया गया ।

4. अपीलांट के विद्वान अभिभाषक ने अपील मीमो मे अंकित बिन्दुओं को दौहराते हुए बहस के दौरान कहा कि रोही मोजा पातलीसर छोटा तहसील सरदारशहर के खसरा नं. 227 तादादी 55 बीधा 15 व खसरा नं. 269 तादादी 30 बीधा 5 बिश्वा कुल किता 2 कुल तादादी 86 बीधा बारानी भूमि की पैत्रिक भूमि है, अपीलान्ट की दादी मनोहरी बेवाह लिच्छू के फौत होने पर उनके वारिसान अपीलान्ट के पिता मालाराम व सुरजाराम, बालूराम, भूरारम, कुशलाराम के नाम से नामान्तकरण दर्ज होना चाहिए था परन्तु अपीलान्ट के पिता मालाराम का स्वर्गवास मनोहरी से पूर्व ही हो गया था इसलिए मालाराम का एक मात्र वारिस अपीलान्ट होने के कारण उपरोक्त रकबा मे अपीलान्ट का 1/12 हिस्सा सही दर्ज किया गया है, फिर भी अदालत मातहत ने बिना अपीलान्ट को सुनवाई का अवसर दिये एक तरफा तौर पर अपीलाधीन आदेश पारित किया है। विरासतन इंतकाल सं. 471 ग्राम पंचायत की आम सभा की बैठक मे पूर्ण जांच कर गवाह सबूत आदि लेकर विधिवत रूप से दर्ज किया गया था। अदालत मातहत के समक्ष रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा करीब 9-10 वर्ष के अन्तराल बाद अपील प्रस्तुत की गई थी, फिर भी अदालत मातहत ने बिना अपील का अवलोकन किए, बिना मियाद का बिन्दु तैय किए, अपीलाधीन आदेश पारित

कर दिया। अदालत मातहत में रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा प्रस्तुत धारा–5 मियाद के प्रार्थना पत्र में मियाद के बिन्दु पर कुछ भी नही लिखा है, ना ही कोई कारण दर्शाया गया है। अदालत मातहत के द्वारा अपीलान्ट का नोटिस जिस अखबार मे प्रकाशित करवाया है, वह प्रचलित अखबार ही नही है, केवल खाना पूर्ती करते हुए प्रकाशन करवाकर अपीलान्ट की पीठ पिछे अपीलाधीन आदेश पारित कर दिया। अपीलान्ट मातहत ने अपने निर्णय मे लिखा है कि अपीलान्ट सुरजाराम का पुत्र होना साबित होता है वह पूर्णतया गलत है, वास्तविकता यह कि अपीलान्ट की माता पुर्णी है जिसका विवाह अपीलान्ट के पिता मालाराम के साथ हुआ था, और जब अपीलान्ट करीब 8–9 माह का था तब अपीलान्ट के पिता का स्वर्गवास हो गया और अपीलान्ट की माता पुर्णी सुरजाराम के नाते चली गई। अपीलान्ट को जब रेकार्ड मे अपने पिता के नाम की जानकारी हुई तो अपीलान्ट ने विधिक प्रक्रिया अपना कर नाम परिवर्तन करवा भी लिए साथ राजस्व रेकार्ड मे दुरूस्ती करवाने के लिए भी एक वाद अदालत मातहत के यहा विचाराधीन है जो रस्पोडेन्ट के जवाब दावा हेतु चल रहा है। इसके अलावा रेस्पोडेन्ट सं. 1 के द्वारा अदालत मातहत के समक्ष प्रस्तुत अपील मे ग्राम पंचायत भादासर दिखणादा को पक्षकार ही नही बनाया जबकि ग्राम पंचायत के आदेश के विरूद्व ही अपील प्रस्तुत की गई थी ऐसी स्थिति में ग्राम पंचायत आवश्यक पक्षकार थी व है। इंतकाल की कार्यवाही मे किसी के अधिकार तैय नही किये जा सकते है वो केवल नियमित वाद मे तैय किये जा सकते है। अपीलान्ट को अपीलाधीन आदेश की जानकारी नही दी गई , अपीलान्ट ने अपील प्रस्तुत करने मे जानबूझ कर देरी नही की है, उक्त देरी उन्हे जानकारी न होने के कारण हुई है। अतः अपील जानकारी से अन्दर मियाद शुमार कर अपील स्वीकार कर अपीलाधीन निर्णय दिनांक 27.04.2017 निरस्त फरमाया जावे।

5. रेस्पोडेन्ट संख्या 1, 2, 4, 5, 6 विद्वान अभिभाषक ने बहस के दौरान कथन किया कि खसरा नं. 227 तादादी 55–15 बीधा, 269 तादादी 30–05 बीधा कुल तादादी 86 बीधा रोही मौजा पातलीसर छोटा मे मनाहरी पत्नी लिछमणराम सहखातेदार थी। जिसका स्वर्गवास होने

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

पर विरास्तन नामान्तकरण सं. 471 दिनांक 05.02.2007 ग्राम पंचायत भोजूसर उपाधियान द्वारा तस्दीक किया गया था, जो केवल मनोहरी के जायज वारिसान के पक्ष में दर्ज व तस्दीक होना चाहिए था लेकिन अपीलान्ट ने मनोहरी के जायज वारिसान के साथ स्वय को मनोहरी के स्व. मालाराम का बेटा गलत रूप से अंकित करवाकर इन्तकाल दर्ज करा लिया जबकि अपीलान्ट सुरजाराम का पुत्र है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय में पूर्ण विवेचन व प्रस्तुत दस्तावेज में निर्वाचक नामावलियो, जॉबकार्ड, राजस्व रिकार्ड की प्रमाणित प्रतिया को पुष्ट पाने पर अपीलान्ट सुगनाराम को मालाराम का पुत्र न मानकर सुरजाराम का पुत्र माना है जो सही भी है। सुननाराम स्व. मनोहरी का प्रथम श्रेणी का वारिस भी नही है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

6. राजकीय अभिभाषक ने बहस के दौरान कहा कि अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय सही है अतः अपीलान्ट की अपील खारिज की जावे।

7. हमने विद्वान अभिभाषकगणो की बहस पर मनन करते हुवे उपलब्ध दस्तावेजात, एवं अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का ध्यानपूर्वक अवलोकन/ अध्ययन किया। अपीलान्ट का कथन है कि अपीलाधीन आदेश उसके विरूद्ध एक तरफा हुआ है जिसकी जानकारी दिनांक 02.07.2017 को हुई तब नकल लेकर यह अपील प्रस्तुत की है। इस संबध में दफा 5 मियाद अधिनियम का प्रार्थना पत्र मय शपथ पत्र प्रस्तुत किया है जिसका जवाब /खण्डन रेस्पोडेन्ट की और से प्रस्तुत नही किया गया है अतः प्रार्थना पत्र दफा 5 मियाद अधिनियम न्यायहित में स्वीकार किया जाकर इस अपील को अन्दर मियाद शुमार किया जाता है।

8. **प्रस्तुत** अपील उपखण्ड अधिकारी सरदारशहर के निर्णय दिनांक 27.04.2017 के विरूद्व प्रस्तुत की गई है। जिसके द्वारा उन्होने मनोहरी पत्नी लिच्छुराम उर्फ लिछमणराम के विरास्तन नामान्तकरण सं. 471 दिनांक 05.02.2007 ग्राम पंचायत भोजूसर उपधियान के ग्राम पातलीसर बड़ा ख. नं. 227 तादादी 55–15 बीधा, ख. नं. 269 तादादी 55–05 बीधा, कुल तादादी 86–00 बीधा बाबत पारित

अति. संभागीय आयुक्त
बीकानेर

किया है जिसमें अपीलान्ट को मालाराम का पुत्र न मानकर सुरजाराम का पुत्र माना है। इस संबध मे पत्रावली का अवलोकन करने से स्पष्ट होता है कि उक्त प्रकरण में पुलिस थाना सरदारशहर मे एक FIR संख्या 327/2014 दिनांक 11.07.2014 को अपीलान्ट व अन्य के विरूद्व दर्ज हुई जिसका चालान दिनांक 31.08.2014 को प्रस्तुत करते हुए अपीलान्ट को दफा 420, 467, 468, 471 का मुल्जिम मानकर श्रीमान न्यायिक मजिस्ट्रेट महोदय के संमक्ष गिरफ्तार कर दिनांक 21.08.2014 को पेश किये जाने पर JC किया गया। जिससे स्पष्ट होता है कि प्रथम दृष्टया अपीलान्ट स्वर्गीय मनोहरी पत्नी लिच्छुराम उर्फ लिछमणराम के विरास्तन नामान्तकरण में हितबद्व पक्षकार नही है। इन्तकाल की कार्यवाही एक Fiscal कार्यवाही है। उक्त कार्यवाही में किसी प्रकार के अधिकार एवं स्वत्व का निर्धारण नही किया जा सकता है। इस हेतु अपीलान्ट नियमित वाद के जरिये यदि कोई अनुतोष है तो प्राप्त कर सकता है। अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलान्ट खारिज की जाती है।

9. तदनुसार अपील निर्णित शुमार हो। पत्रावली नम्बर से कम हो। पत्रावली बाद तरतीब, तकमील दाखिल दफ्तर रहे। निर्णय आज दिनांक 04.01.2023 को लिखवाया जाकर सरे इजलास सुनाया गया।

(ए.एच.गौरी)
अति.संभागीय आयुक्त,
बीकानेर